

**EXTRAORDINARY** 

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

₩. 1016]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2009/आषाढ़ 11, 1931

No. 1016]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2009/ASADHA 11, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

आदेश

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2009

का.आ. 1621(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्वंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्वंधन) हटाना (पांचवां संशोधन), आदेश, 2009 है।
  - (2) यह 9 जुलाई, 2009 को प्रवृत्त होगा।
- 2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण की बाबत प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात् चीनी के लिए इस आदेश के प्रारंभ की तारीख से छ: महीने के लिए अर्थात् 8 जनवरी, 2010 तक की और अविध के लिए प्रास्थिगन में रखा जाएगा।
- 3. इस आदेश की कोई बात चीनी के राज्य से बाहर स्थानों को परिवहन, वितरण या व्ययन को प्रभावित नहीं करेगी और न ही इस वस्तु के आयात पर लागू होगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें आयातकर्ताओं को यह निदेश दे सकेंगी कि वे चीनी के स्टॉकों की प्राप्तियों और उनके द्वारा धारित स्टॉकों की घोषणा करें।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 के अन्य सभी उपबंध उपर्युक्त खण्ड 2 में वर्णित अविध के दौरान भी प्रवर्तन में बने रहेंगे।

[फा. सं. 10/1/2009-ई सी आर एण्ड ई] राकेश कक्कड, अपर सचिव

टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में आदेश सं. सा.का.नि. 104(अ), तारीख 15 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें आदेश सं. सा.का.नि. 490(अ), तारीख 16 जून, 2003, सं. का.आ. 1373(अ), तारीख 29 अगस्त, 2006, सं. का.आ. 297(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007, सं. का.आ. 1488(अ), तारीख 31 अगस्त, 2007, सं. का.आ. 400(अ), तारीख 28 फरवरी, 2008, सं. का.आ. 823(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2008, सं. का.आ. 2117(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008, सं. का.आ. 2118(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008, सं. का.आ. 2247(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008, सं. का.आ. 2249(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2008, सं. का.आ. 649(अ), तारीख 9 मार्च, 2009, सं. का.आ. 880(अ), तारीख 30 मार्च, 2009, सं. का.आ. 905(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009 और सं. का.आ. 906(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

## (Department of Consumer Affairs)

## **ORDER**

New Delhi, the 2nd July, 2009

- S.O. 1621(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely:—
  - 1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Fifth Amendment) Order, 2009.
    - (2) It shall come into force on the 9th day of July, 2009.
- 2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodity, namely, Sugar for a further period of six months i.e. up to 8th January, 2010 from the date of commencement of this Order.
- 3. Nothing contained in this Order shall affect the transport, distribution or disposal of sugar to places outside the State, nor shall it be applicable to import of this commodity:

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of sugar and stocks retained by them.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above.

[F. No. 10/1/2009-ECR & E]

RAKESH KACKER, Addl. Secv.

Note:— The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002 and subsequently amended vide G.S.R. 490(E), dated the 16th June, 2003, S.O. 1373(E) dated the 29th August, 2006, S.O. 297(E) dated the 27th February, 2007, S.O.1488(E) dated the 31st August, 2007, S.O. 400(E) dated the 28th February, 2008, S.O. 823(E) dated the 7th April, 2008, S.O. 2117(E) dated the 27th August, 2008, S.O. 2118(E) dated the 27th August, 2008, S.O. 2247(E) dated the 22nd September, 2008, S.O. 2248(E) dated the 22nd September, 2008, S.O. 2249(E) dated 22nd September, 2008, S.O. 649(E) dated the 9th March, 2009, S.O. 880(E) dated the 30th March, 2009, S.O. 905(E) dated the 2nd April, 2009 and S.O. 906(E) dated the 2nd April, 2009.